भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2461
दिनांक 13 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

हरियाणा में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र

2461. श्री सतपाल ब्रह्मचारीः
श्री जय प्रकाशः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हरियाणा राज्य में विशेषकर हिसार और सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के अंतर्गत स्थापित प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्रों (पीएमबीजेएके) की कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में अनुमोदित, कार्यरत और प्रस्तावित जनऔषधि केन्द्रों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में जनऔषधि केन्द्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार की निकट भविष्य में उक्त संसदीय क्षेत्रों में नए जनऔषधि केंद्र स्थापित करने तथा औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) योजना के अंतर्गत, दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य में कुल 474 जन औषधि केंद्र (जेएके) खोले गए हैं, जिनमें से 35 जेएके हिसार संसदीय क्षेत्र में और 45 जेएके सोनीपत संसदीय क्षेत्र में खोले गए हैं।

(ख): हिसार और सोनीपत संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अनुमोदित और खोले गए जन औषधि केंद्रों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	हिसार संसदीय क्षेत्र	सोनीपत संसदीय क्षेत्र
		खोले गए जेएके की संख्या	खोले गए जेएके की संख्या
1.	2022-23	16	5
2.	2023-24	11	8
3.	2024-25	8	14

(ग) और (घ): इस योजना के अंतर्गत, पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी क्षेत्रों, द्वीपीय क्षेत्रों और नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिलों के रूप में अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में खोले गए जेएके के लिए और पूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों सहित कुछ पात्र श्रेणियों के उद्यमियों द्वारा खोले गए जेएके के लिए, जेएके की स्थापना के लिए 2 लाख रुपये का एकमुश्त विशेष प्रोत्साहन दिया जाता है।

(ङ): जेएके को व्यक्तिगत उद्यमियों, गैर-सरकारी संगठनों, सोसाइटियों, ट्रस्टों, फर्मों, निजी कंपनियों आदि से आवेदन आमंत्रित करके खोला जाता है। उक्त संसदीय क्षेत्र सहित देश के सभी जिलों से वेबसाइट www.janaushadhi.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

जन औषधि केन्द्रों (जेएके) में दवाओं की प्रभावी और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) सितंबर 2024 से, जेएके द्वारा सामान्यत: उपयोग की जाने वाली 200 दवाओं, जिनमें योजना उत्पाद बॉस्केट में शामिल बाजार में सर्वाधिक बिक्री होने वाली 100 दवाएं और तेजी से बिकने वाली 100 दवाएं शामिल हैं, का स्टॉक बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन दिया गया है, जिसके रखे जाने पर जेएके मालिक इन दवाओं के स्टॉक के आधार पर मासिक प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं।

(ii) एक सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली स्थापित करने के लिए एक परिपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली स्थापित की गई है जिसमें पांच मालगोदाम और देश भर में वितरकों का एक बढ़ता हुआ नेटवर्क शामिल है।

(iii) इसके अलावा, सामान्यत: उपयोग किए जाने वाले उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, योजना कार्यान्वयन एजेंसी {भारतीय औषध एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो} द्वारा 400 तेजी से बिकने वाले उत्पादों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और इसकी मांग का निरंतर आधार पर पूर्वानुमान लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त, खरीद प्रक्रिया को संवर्धित करने के लिए पूर्वानुमान पद्धति के डिजिटलीकरण के लिए कदम उठाए गए हैं।

*****